रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

अधिप्रमाणित

किरेन रीजीजू
गृह राज्य मंत्री
भारत सरकार
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

सं. 34] नई दिल्ली, अगस्त 27—सितम्बर 2, 2017, शनिवार/भाद्र 5— भाद्र 11, 1939

No. 34] NEW DELHI, AUGUST 27—SEPTEMBER 2, 2017, SATURDAY/BHADRA 5— BHADRA 11, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2017

सा.का.नि. **260.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर भर्ती नियम, 1981 में समूह 'ग' पद, जहां तक उनका संबंध पुस्तकालय परिचारक से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर में पुस्तकालय परिचारक पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर, पुस्तकालय परिचारक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता:**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
पुस्तकालय परिचारक	1* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-1 (18000-56900 रु.)

चयन या अपचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	6	(7)
लागू नहीं होता	आयु "18 से 25 वर्ष के बीच" (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	**आवश्यक:** मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या सीनियर सेकेण्डरी या हाईस्कूल या समतुल्य पास हो।

	टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	**वांछनीय:** 1. मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम। 2. सरकारी संस्था या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में प्रमाण पत्र। 3. जिल्दसाजी या कार्यालय कार्य का ज्ञान।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण:** "पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी: (क) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हो।"

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:— 1. महानिदेशक, अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड – अध्यक्ष 2. अग्निशमन सलाहकार या उप महानिदेशक (होमगार्ड) - सदस्य; और 3. निदेशक, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा, महाविद्यालय, नागपुर - सदस्य।	लागू नहीं होता

[फा. सं. I-12014/05/2017-प्रशा. (सीडी)]

गौतम घोष, निदेशक

अधिप्रमाणित

किरेन रीजीजू
गृह राज्य मंत्री
भारत सरकार
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DISASTER MANAGEMENT DIVISION)

New Delhi, the 30th August, 2017

G.S.R. 260.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Group 'C' posts, National Fire Service College, Nagpur Recruitment Rules, 1981, in so far as they relate to the post of Library Attendant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library Attendant in the National Fire Service College, Nagpur, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the National Fire Service College, Nagpur, Library Attendant (Group `C` posts) Recruitment Rules, 2017.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualification, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person.-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reason to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** —Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of Post	Classification	Level in Pay Matrix	Whether Selection or Non Selection Post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Library Attendant	1* (2017) *Subject to variation dependent on work load	General Central Civil Service Group C -Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Level 1 (₹ 18000-56900)	Not applicable	"Between 18 and 25 years" of age (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam,

					Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State , Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, If any
(7)	(8)	(9)
Essential: Matriculation or Senior Secondary or High School or equivalent examinations pass from recognised education Board. **Desirable:** 1. Certificate Course in Library Science from a recognised Institute. 2. Certificate in Computer application from Government Institute or Institute recognized by Government or State Board of Technical Education. 3. Knowledge of book binding or Office work	Not applicable	Two Years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods:	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made
(10)	(11)
100% By Direct Recruitment. Note: "Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government: (a) holding analogous posts on regular basis; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7)".	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstance in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee(for confirmation): 1. Director General Fire Service, CD & Home Guard – Chairperson 2. Fire Adviser/Deputy Director General (Home Guard) - Member 3. Director, National Fire Service college, Nagpur - Member	Not applicable

[F. No. I-12014/05/2017-Ad (CD)]

GOUTAM GHOSH, Director